

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06012020-215170 CG-DL-W-06012020-215170

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 50] नई दिल्ली, दिसम्बर 15—दिसम्बर 21, 2019, शनिवार/अग्रहायण 24—अग्रहायण 30, 1941 No. 50] NEW DELHI, DECEMBER 15— DECEMBER 21, 2019, SATURDAY/AGRAHAYANA 24— AGRAHAYANA 30, 1941

> इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> > भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.363.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (केंद्रीय सेवा वर्ग ॥ पद), भर्ती नियम, 1963, को जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ फोटोग्राफर, फोटोग्राफर और अंध कक्ष सहायक, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में फोटोग्राफर (श्रेणी ॥ और श्रेणी ॥) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, फोटोग्राफर (श्रेणी ॥ और श्रेणी ॥), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

6315 GI/2019 (1691)

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और अहर्ताएं, आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने, अपने पित या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति.** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

			43X 11		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है	सीधे भर्ती होने वाले के
				या गैर-चयन पद	लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. फोटोग्राफर	4* (2019)	साधारण केन्द्रीय	₹ 29200-92300/- के	अचयन	लागू नहीं होता
श्रेणी ॥	* कार्यभार के	सेवा, समूह 'ग',	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5.		
	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	अराजपत्रित, अननुसचिवीय।			

सीधे भर्ती के माध्यम से नियुक्ति किए जाने वाले के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अहर्ताएं	क्या सीधे भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित आयु तथा अर्हताएं प्रोन्नति पाने वालों के मामलों में भी लागू होगी या नहीं	हो	भर्ती की पद्धति,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागु नहीं होता	लागु नहीं होता	लागु नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के लिए
की दशा में वे वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिससे		किन परिस्थितियों में
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया		संघ लोक सेवा
जाएगा		आयोग से परामर्श
		किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:-	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार	लागू नहीं होता
वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में ऐसे फोटोग्राफर	करने के लिए) होंगे:-	

श्रेणी III जिन्होंने नियुक्ति के बाद उस स्तर में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1.- पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पदों को धारित करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा वही रहेगी।

टिप्पण 2.- जहां ऐसे किन हों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके विरष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम ना हो और उन्होंने अगले उच्चतर स्तर में प्रोन्नति हेतू उनके किनष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सिहत परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

- (क) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता अध्यक्ष; (ख) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य;
- (ग) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. फोटोग्राफर 13 श्रेणी III * आ पर्	(2) 3* (2019)     कार्यभार के ाधार पर रिवर्तन किया ा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।		लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेश या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।  टिप्पण आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई अंतिम तारीख)। केंद्रीय चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती के मामले में, आयु-सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा-विज्ञापित होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :-	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।
(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या शिक्षा संस्थान			टिप्पण जिन मामलों में पदधारी के
। से मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) उत्तीर्ण ;			प्रतिनियुक्ति पर अथवा लंबी बीमारी
। और			अथवा अध्ययन छुट्टी अथवा अन्य किन्हीं
(ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / शिक्षा			परिस्थितियों के कारण, एक वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने
संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा।			क कारण, हुई रिक्तियों के केंद्रीय सरकार
टिप्पण - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित			के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार
अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के			परभरी जा सकेंगी :-
लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी			(क) नियमित आधार पर सादृश्य पदों को
चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के			धारित किए हों, और
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			(ख) स्तम्भ (7) के अधीन, सीधे भर्ती होने
			वालों के लिए विहित अहर्ताएं तथा अनुभव
			रखते हों।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) होंगे:-	लागू नहीं होता
	(क) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता- अध्यक्ष;	
	(ख) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य;	
	(ग) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य	

[फा.सं. 01/03/2019-सीएसजेड] मंजू पान्डे,संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 20th December, 2019

**G.S.R. 363.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Class-III posts) Recruitment Rules, 1963, in so far as it relates to the posts of Senior Photographer, Photographer and Dark Room Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Photographer (Grade II and Grade III) in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Photographer (Grade II and Grade III), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person,
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

# **SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay	Whether Selection	Age limit for
			Matrix	Post or Non-	direct recruits
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	4 (2019)*	General Central	Level-5 in the	Non-Selection	Not applicable
Photographer	*Subject to	Service, Group	Pay Matrix of		
Grade II	variation	'C', Non-Gazetted,	Rs. 29200-		
	dependent on	Non-Ministerial.	92300/-		
	workload				

Educational and	other	Whether	age	and	Period of probation, if any	Method of recruitmen
qualifications required	for	Educational	qualificat	ions		whether by direct
direct recruits		prescribed for	direct reci	ruits		recruitment or by promotion
		will apply in	n the case	e of		or by deputation
		promotees				absorption and percentag
						of the vacancies to be fille
						by various methods
(7)		(	8)		(9)	(10)
Not applicable	·	Not ap	plicable		Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition (12)	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for	Not applicable.
Photographer Grade III in the Level-4 in the Pay Matrix with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.  Note 1 The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.  Note 2 Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the	considering promotion) consisting of:  1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata - Chairman;  2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata - Member;  3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata- Member.	

requisite qualifying /eligibility	
service by more than half of	
such qualifying /eligibility	
service or two years,	
whichever is less, and have	
successfully completed	
probation period for promotion	
to the next higher grade along	
with their juniors who have	
already completed such	
qualification /eligibility	
service.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	13 (2019)*	General	Level-4	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable
Photographer		Central	in the Pay		for Government servants up to 5
Grade III.	*Subject to	Service,	Matrix of		years in accordance with instruction
	variation	Group 'C',	Rs.		or orders issued by the Central
	dependent	Non-Gazetted,	25500-		Government from time to time).
	on workload.	Non-	81100/-		Note The crucial date for
		Ministerial			determining the age limit shall be the
					closing date for receipt of application
					from the candidates in India (and not
					the closing date prescribed for those
					in Assam, Meghalaya, Arunachal
					Pradesh, Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura, Sikkim, Union
					Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti
					District and Pangi Sub-Division of
					Chamba District of Himachal
					Pradesh, Andaman and Nicobar
					Islands or Lakshadweep). In case of
					recruitment through Staff Selection
					Commission, the crucial date for
					determining the age-limit shall be
					advertized by Staff Selection
					Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not applicable	2 years	By direct recruitment.
(i) Passed Matriculation (10 <sup>th</sup>			Note Vacancies caused by the
Standard) from a recognized			incumbent being away on
Board or Institution; and			deputation or long illness or study
(ii) Diploma in Photography from a			leave or under other circumstances
recognized University/Institute.			for a duration of 1 year or more
Note Qualifications are relaxable at			may be filled on deputation basis
the discretion of the Staff Selection			from the officers of the Central
Commission /Competent authority in			Government:-
case of candidate otherwise well			(a) Holding analogous post on
qualified.			regular basis in the parent
			cadre or deferment; and
			(b) Possessing the qualification
			and experience prescribed
			for direct recruit under
			Column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:  1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata - Chairman;  2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata - Member;  3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata - Member.	Not applicable.

[F. No. 01/03/2019-CSZ] MANJU PANDEY, Jt. Secy.

# विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2019

सा.का.नि.364.—विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 22-28 सितम्बर, 2019 की साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित सा.का.नि.सं.319 दिनांक 23.9.2019 वाली अधिसूचना में राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2019 के साथ संलग्न अनुसूची के अंग्रेजी पाठ में निम्नलिखित सुधार किया जाएगा:

उपर्युक्त भर्ती नियम (अंग्रेजी पाठ) के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 12 में उल्लिखित मौजूदा प्रविष्टि में शब्द डिरेक्टर, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग **ऑरगेनाईजेशियो-चेयरमेन** को डिरेक्टर, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग **ऑरगेनाईजेशियो-चेयरमेन** को डिरेक्टर, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग **ऑरगेनाईजेशन-चेयरमेन** पढ़ा जाए।

[फा. सं. एसएम/01/15/2018] विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

### MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

# (Department of Science and Technology)

### **CORRIGENDUM**

New Delhi, the 14th November, 2019

G.S.R.364.—In Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Notification bearing GSR No. 319 dated 23.9.2019 published in the Gazette of India, weekly publication dated 22-28 September, 2019, the following correction shall be carried out in the English version of the Schedule annexed to the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 2019:-

In the existing entry appearing against Col. 12 of the Schedule annexed to the aforementioned recruitment rules (English version) the words, Director, National Atlas Thematic Mapping **Organisatio - Chairman** may be read as, Director, National Atlas Thematic Mapping **Organisation - Chairman**.

[F. No. SM/01/15/2018]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

# वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2019

**सा.का.िन.365.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, (श्रेणी-।।, अराजपत्रित पद) भर्ती नियम 1959, जहां तक कि वे अधीक्षक के पद से सम्बंधित है, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी चीजों या करने से छूट गयी चीजों के सिवाय,

वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अधीक्षक तथा सहायक के पद के भर्ती नियम को अधिनियमित करते हुये एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , नामत::-

- **1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.** (1) इन नियमों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय का कार्यालय, अधीक्षक (वर्ग –'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय पद) एवं सहायक (वर्ग –'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम 2019 कहा जायें।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्दों की संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनसे सम्बद्ध स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हता इत्यादि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे सम्बंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट की जायेगीं।

# 4. निरर्हता .— वह व्यक्ति

- (अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ब) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह या अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी।

- **5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के वाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगे।
- **6. व्यावृत्ति.** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसुची

			<i>9 K</i>		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा	सीधी भर्ती हेतु
				अचयन पद	आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(0)
1. अधीक्षक	4* (2019)	सामान्य केन्द्रीय सेवा	स्तर – 7 (रु.44900 –	चयन	लागू नहीं
	*कार्यभार के आधार	वर्ग 'ख' राजपत्रित,	1,42,400)		
	पर परिवर्तन की शर्त	अनुसचिवीय ।			
	पर				

सीधी भर्ती हेतु	क्या सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट	परिवीक्षा अवधि,	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा
अपेक्षित शैक्षणिक	आयु एवं शैक्षिणिक अर्हताएं	यदि हो	अथवा प्रतिनियुक्ति/संभरण द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों
एवं अन्य अर्हताएं	पदोन्नतों के मामले में लागू होगी		से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/संभरण द्वारा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	परिस्थियां जिसमें भर्ती
भर्ती के मामले में वेतनमान जिससे	योद विभागाय पदान्नात सामात विश्वमान ह तो उसका सरचना   किया है।	पारास्थया जिसम मता   हेतु संघ लोक सेवा
पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/संभरण किया	1 1 1 2 1 6 1	अयोग से परामर्श किया
जाना है।		जाना है
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति :	रान्य वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने	सं.लो.से. आयोग से
वेतन मैट्रिक्स रू.35,400-1,12,400 के	हेतु)।	परामर्श आवश्यक नहीं।
स्तर – 6 में सहायक के वेतनमान में 5	<b>८४) '</b>   1. महानिदेशक वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी    - अध्यक्ष	
(पॉच) वर्षों की नियमित सेवा ।		
टिप्पणी : जब अर्हता सेवा अथवा योग्यता	2. निदेशक, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी	
सेवा पूर्ण करने वाले कनिष्ठो की पदोन्नति	महानिदेशालय – सदस्य	
पर विचार किया जा रहा हो तो उनके	3. उप निदेशक (प्रशासन), वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी	
वरिष्ठो पर भी विचार किया जायेगा	महानिदेशालय – सदस्य	
बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता या योग्यता		
सेवा अर्हता या योग्यता सेवा के आधे से		
अधिक हो अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो		
तथा अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति		
हेतु परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक अपने		
किनिष्ठो के साथ पूर्ण कर लिया हो जिन्होनें ऐसी अर्हता/या योग्यता सेवा		
पहले ही पूर्ण कर लिया है ।		
प्रतिनियुक्ति :		
केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ शासित		
क्षेत्र के अधिकारी		
(अ) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित		
आधार पर समरूप पदधारी या		
(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स		
स्तर – 6 (रू.35,400-1,12,400) या		
समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति		
के उपरांत उस पर 5 वर्षो की सेवा ।		
(ब) स्थापना, लेखा एवं प्रशासन का		
न्यूनतम 2 वर्षो का अनुभव।		
टिप्पणी 1- फीडर ग्रेड में विभागीय		
अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी कतार में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार		
किये जाने के पात्र नहीं होगें, उसी प्रकार		
प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति हेतु विचार		
प्रातानयुक्त ज्याक्त पदान्नात हतु ।वचार   किये जाने के पात्र नहीं होगें ।		
<b>टिप्पणी 2-</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक		
संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार के उसी या		
किसी अन्य संगठन या विभाग में इस		
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य		
संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति		
(अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि		
साधारणत: तीन वर्षो से अधिक नहीं   होगीं ।		
<b>टिप्पणी 3-</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक		
संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिये		
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने		
की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक		
नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक	6* (2019)	सामान्य केन्द्रीय सेवा	स्तर – 6 (रु.35,400 –	चयन	लागू नहीं
	*कार्यभार के आधार	वर्ग 'ख'	1,12,400)		
	पर परिवर्तन की शर्त	अराजपत्रित,			
	पर	अनुसचिवीय ।			

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष (पदोन्नतों हेतु)	पदोन्नति जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

			T
(11)	(12)		(13)
पदोन्नति :	वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति  (पदोन्नति पर विचार करने	हेतु)।	सं.लो.से. आयोग से
वेतन मैट्रिक्स (रू.25,500-81,000)	1. महानिदेशक वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी	-	परामर्श आवश्यक
के स्तर – 4 में उ.श्रे.लि. के वेतनमान	अध्यक्ष		नहीं ।
में 10 (दस) वर्षो की नियमित सेवा ।	2. निदेशक, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय	_	
टिप्पणी : जब अर्हता सेवा अथवा	, सदस्य		
योग्यता सेवा पूर्ण करने वाले कनिष्ठो	3. उप निदेशक (प्रशासन), वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी		
की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा	महानिदेशालय	-सदस्य	
हो तो उनके वरिष्ठो पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते उनकी अपेक्षित	वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति  (पुष्टिकरण पर विचार करं		
अर्हता या योग्यता सेवा अर्हता या	<ol> <li>महानिदेशक वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी</li> </ol>	- अध्यक्ष	
योग्यता सेवा के आधे से अधिक हो	· ·		
अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो तथा	2. निदेशक, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय	_	
अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति	सदस्य		
हेतु परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक	3. उप निदेशक (प्रशासन), वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी		
अपने कनिष्ठों के साथ पूर्ण कर लिया	महानिदेशालय	-सदस्य	
हो जिन्होनें ऐसी अर्हता/या योग्यता			
सेवा पहले ही पूर्ण कर लिया है।			
प्रतिनियुक्ति:			
केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र के अधिकारी			
   (अ) (i) मूल संवर्ग या विभाग में			
। (			
या			
(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन			
मैट्रिक्स स्तर – 4 (रू.25,500 <b>-</b>			
81,000) या समतुल्य में नियमित			
आधार पर नियुक्ति के उपरांत उस पर			
10 वर्षो की सेवा ।			
(ब) स्थापना, लेखा एवं प्रशासन का			
ज्ञान।			
टिप्पणी 1- फीडर ग्रेड में विभागीय			
अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी			
कतार में है वे प्रतिनियुक्ति पर			
नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के पात्र			
नहीं होगें, उसी प्रकार प्रतिनियुक्त			
व्यक्ति पदोन्नति हेतु विचार किये जाने			
के पात्र नहीं होगें ।			

िटप्पणी 2- प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि साधारणतः तीन वर्षो से अधिक नहीं होगीं ।

िटप्पणी 3- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[मि. सं. 5(1)/2012-ई.- I]

विपद भंजन पाल, उप महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष

# MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Commerce)

New Delhi, the 9th December, 2019

- G.S.R. 365.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (Class II Non- Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1959, in so far as they relate to the post of Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintendent and Assistant in the Office of the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, namely:-
  - 1. **Short title and commencement.—** (1)These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Office of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Superintendent (Group 'B', Gazetted, Ministerial post) and Assistant (Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial post) Recruitment Rules, 2019.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.—** The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
  - 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
  - 4. **Disqualification.**—No person, -
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation to age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

# **SCHEDULE**

		~ ~			
Name of the Post	Number of post	Classification	Level in the Pay	Whether	Age limit for
			Matrix	selection post	direct recruits
				or non-	
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Superintendent	4 *(2019)	General	Level-7	Selection	Not Applicable
	*Subject to	Central	(Rs. 44,900-		
	variation dependent	Service Group	1, 42, 400/-)		
	on workload	'B' Gazetted,			
		Ministerial			

Educational and	Whether age and educational	Period of probation, if	Method of recruitment whether by
other qualifications	qualifications prescribed for	any	direct recruitment or by promotion
required for direct	direct recruits will apply in the		or by deputation/absorption and the
recruits	case of promotees		percentage of vacancies to be filled
			by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By promotion failing which by
			Deputation

In according to the second by manuaction	If a Departmental Department Committee swipts what is	Cinamatanasa in
In case of recruitment by promotion	If a Departmental Promotion Committee exists what is	Circumstances in
or deputation/ absorption, grades	its composition	which Union Public
from which promotion or		Service Commission
deputation/ absorption to be made		is to be consulted in
(11)	(10)	making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for	Consultation with
Assistant in Level – 6 in the pay	considering promotion) consisting of :-	UPSC not necessary
matrix Rs. 35,400 – 1, 12, 400/-	1. Director General of Commercial Intelligence and	
with five years regular service in	Statistics - Chairman	
the grade.	2. Director, Directorate General of Commercial	
<b>Note:</b> Where juniors who have	Intelligence and Statistics – Member	
completed their qualifying or	3. Deputy Director (Administration), Directorate	
eligibility service are being	General of Commercial Intelligence and	
considered for promotion, their	Statistics - Member.	
senior would also be considered		
provided they are not short of the		
requisite qualifying or eligibility		
service by more than half of such		
qualifying / eligibility service or		
2 years, whichever is less and have		
successfully completed their		
probationary period for promotion		
to the next higher grade along with		
their Juniors who have already		
completed such qualifying /		
eligibility service.		
Deputation:		
Officers of Central or State		
Government or Union Territory,		
(a)(i) holding analogous posts on		
regular basis in the parent cadre or		
department; or		
(ii) with 5 years' service in the		
grade rendered after appointment		
thereto on a regular basis in posts in		
Level – 6 in the pay matrix		
(Rs. 35,400-1, 12, 400/-) or		
equivalent in parent cadre or		
department.		

(b) possessing at least two years experience of establishment, accounts and administration matters.

**Note 1-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.

Note 2- Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the central government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3- The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

workload

Note 3- The max	kimum age limi	it for						
appointment	by deput	ation						
(including short	term contract)	shall						
not be exceeding	g 56 years as or	n the						
closing date	of receipt	of						
applications.								
								_
(1)	(2)		(3)	)	(4)	(5)	(6)	
2. Assistant	6 *(2019)		General	Central	Level-6	Selection	Not Applicable	
	*Subject	to	Service	Group	(Rs. 35,400-			
	variation		'В',	Non-	1, 12, 400/-)			
	dependent	on	Gazetted,					

(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Two Years	By promotion failing which by Deputation
		(for	
		promotees)	

Ministerial

### (11)(12)(13)**Promotion:** Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Consultation with Upper Division Clerk in Level – 4 in the **UPSC** considering promotion) consisting of:not pay matrix (Rs. 25,500 - 81,100/-) with Director General of Commercial Intelligence and necessary. ten years regular service in the grade. Statistics - Chairman Note: Where juniors who have Director, Directorate General of Commercial completed their qualifying or eligibility Intelligence and Statistics - Member Deputy Director (Administration), Directorate service are being considered for General of Commercial Intelligence and promotion, their senior would also be considered provided they are not short Statistics - Member of the requisite qualifying or eligibility Group 'B' Departmental Promotion Committee (for service by more than half of such considering confirmation) consisting of:qualifying / eligibility service or 2 Director General of Commercial Intelligence and years, whichever is less and have - Chairman. Statistics successfully completed their Director, Directorate General of Commercial probationary period for promotion to the **Intelligence and Statistics** - Member next higher grade along with their Deputy Director (Administration), Directorate General of Commercial Intelligence and Juniors who have already completed Statistics such qualifying / eligibility service. - Member

exceeding 56 years as on the closing

date of receipt of applications.

# **Deputation:** Officers of Central or State Government or Union Territory, (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100/-) or equivalent in parent cadre department. (b) possessing knowledge of administration, establishment and accounts matters. Note 1- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion. Note 2- Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the central government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3- The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be

[F.No. 5(1)/2012- Estt.-I] BIPAD BHANJAN PAL, Dy. Director General & H.O.D.